न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, अजमेर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 21/2020

दायर दिनांक – 02.09.2020

निर्णय दिनांक – 29.10.2021

प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021

जीसीएमएस नं0 –2020/00049

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. श्रीमती शांति देवी पत्नी श्री मेवासिंह जाति रावत निवासी गोवलिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–1. श्री फिरोज मोहम्मद, अधि0, प्रार्थी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर) सत्यमेव जयते

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम गोवलिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि खाता सं0 251 में वर्किंग जमाबंदी के नामा0 सं0 928 दिनांक 07.06.2010 का अमलदरामद किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार पुष्कर से प्रकरण की जॉच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं0 1 तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:46:32 IST
Reason: SelfAttested

इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक/तह. पुष्कर/कोर्ट/2021/2189 दिनांक 28.10.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि '' राजस्व ग्राम गोयला की वर्किंग जमाबन्दी संवत्

29.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

के खाता संख्या 35 में खसरा नम्बर 1249 मिन रकबा 10 बीघा 9 बीस्वा किस्म बा. [illegible] काना, हिरा, नाथा पि. हमीरा, बज्जा वल्द मोती, छोटू वल्द दूला, मागू वल्द हालू, [illegible] वल्द बुद्धा कौम रावत सा. देह ब.हि.ब के नाम कॉलम नं. 4 में दर्ज है। नामा.सं. 373 दिनांक 05.05.1999 बेचान से खसरा नम्बर 1249 मि. रकबा 01 बीघा 5 बीस्वा, खसरा नम्बर 1297 रकबा 01 बीघा 05 बीस्वा, खसरा नम्बर 1298 रकबा 10 बीस्वा, खसरा नम्बर 1299 रकबा 07 बीस्वा 10 बीस्वांसी, खसरा नम्बर 1300 रकबा 01 बीघा 04 बीस्वा 10 बीस्वांसी, खसरा नम्बर 1303 रकबा 18 बीस्वा 10 बीस्वांसी, 1304 रकबा 10 बीस्वा कुल 7 कुल रकबा 15 बीघा 04 बीस्वा 10 बीस्वांसी पर बज्जा वल्द मोती के बजाय मंगला वल्द हिरा हिस्सा 1/5 कौम रावत के नाम जमाबंदी में दर्ज है। तथा नामा. सं. 928 दिनांक 07.06.2010 तस्दीक ग्राम पंचाचत तिलोरा जरिये बेचान विक्रेता बज्जा पुत्र मोती रावत के 1/5 हिस्से में से 21/184 हिस्सा बेचान करने से क्रेती श्रीमती शांती देवी हि. 21/184 जाति रावत सा. देह के नाम खसरा संख्या 1249 मिन. बा. 2 रकबा 09 बीघा 04 बीस्वा पर नवीन अंकन स्वीकार हुआ। बज्जा/मोती का 179/920 हिस्सा बदस्तूर रहेगा। जमाबन्दी में दर्ज है। शेष जमाबन्दी बदस्तूर।

राजस्व ग्राम गोयला की मिलस बन्दोबस्त संवत 2065–84 अन्तर्गत वाद ग्रस्त साबिक वर्किंग खसरा नम्बर 1249 का मिलान क्षेत्रफल निम्नानुसार है।

हाल		साबिक	
ख.न.	क्षेत्रफल	ख.न.	क्षेत्रफल
1046	0.31	1249 मि.	0.31
1207	0.25	1249 मि	0.25
1208	0.15	1249 मि	0.15
1209	0.21	1249 मि	0.21
1290	0.20	1249 मि	0.20
1211	0.94	1249 मि 1249 मि	0.20 0.14
1207/2216	0.01	1249 मि	0.01
1208/2217	0.01	1249 मि	0.01
1211/2218	0.01	1249 मि	0.01
1223/2219	0.01	1249 मि	0.01
1223	0.39	1249 मि	0.39

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:46:32 IST
Reason: SelfAttested

वर्किंग जमाबंदी के पश्चात बनी मिसल [illegible]बस्त संवत 2065–84 के खाता संख्या 251 में मंगला वल्द हीरा मु.बाली बेवा [illegible] शैतान [illegible] लक्ष्मण धन्ना पि. नाथा मु. हीरी बेवा हीरा मंगला वल्द हीरा 1/5 हि. मंगला वल्द [illegible]रा 2/5 हि. मु. चादी बेवा छोटू 1/5 हि. भंवरसिंह पुत्र उगमा सोहनी नानी कूकी सीता पुत्रीयाँ उगमा 1/5 हि. कौम रावत सा. देह

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

दार के नाम नया खाता बना है। जिसमें वर्किंग खसरा 1249 मिन के हाल खरा नम्बर र्ज है। जिसमें विक्रेता एवं क्रेता दोनो का नाम जमाबंदी में दर्ज नहीं है। (विक्रेता बज्जा वल्द मोती क्रेता शांति देवी पत्नी मेवा सिंह)। ग्राम गोयला की वर्तमान जमाबंदी संवत 2072–75 खाता संख्या 251 में कुल खसरा किता 19 कुल रकबा 2.46 हैक्टेयर पर संयुक्त खातेदारी में भी क्रेता एवं विक्रेता दोनो का नाम जमाबंदी में दर्ज नहीं है। (विक्रेता बज्जा वल्द मोती क्रेता शांती देवी पत्नी मेवासिंह)। प्रार्थना–पत्र में वादी ने ग्राम गोयला की वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 251 में वर्किंग जमाबंदी के नामा. संख्या 928 दिनांक 07.06.2010 का जमाबंदी में अमल दरामद किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 251 भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिसल बन्दोबस्त में बज्जा वल्द मोती का नाम दर्ज नहीं है। अतः नामा. संख्या 928 का अमल किया जाना संभव नहीं है।

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट, जमाबंदी की नकल एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि राजस्व ग्राम खोरी के वर्किंग जमाबंदी के पश्चात् बनी मिसल बंदोबस्त संवत् **2065–84 एवं नवीन जमाबंदी संवत् 2072–75 दोनों में बज्जा वल्द मोती एवं क्रेता शांति देवी पत्नी मेवा सिंह का नाम दर्ज नहीं हैं। अतः नामा0 सं0 928 का अमल किया जाना संभव नहीं है।**

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 128, 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को अस्वीकार/खारिज किया जाता है। राजस्व** ग्राम खोरी के वर्तमान जमाबंदी के खाता सं0 251 भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी मिसल बन्दोबस्त में बज्जा वल्द मोती का नाम दर्ज नहीं होने के कारण **प्रार्थी द्वारा चाहा गया (नामा0 सं0 928 का अमल दरामद) अनुतोष** दिया जाना संभव नहीं हैं। **प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।**

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को मेरे द्वारा खुले–इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:46:32 IST
Reason: SelfAttested

29.10.21

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस)
पुष्कर (अजमेर)